"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 19, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती ऋचा पाण्डेय पति श्री राजीव पाण्डेय, उम्र 44 वर्ष, निवासी लवन, पोस्ट लवन, तहसील बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ. ग.) हाल मुकाम केलकरपारा रायपुर (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी अर्चना मिश्रा आत्मजा श्री कालिका प्रसाद मिश्रा था तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं शासकीय रिकार्ड में अर्चना मिश्रा दर्ज है. विवाहोपरान्त मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती ऋचा पाण्डेय रख ली हूं तथा मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं शासकीय रिकार्ड में नया नाम संशोधन करने बाबत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती ऋचा पाण्डेय पति श्री राजीव पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम

कुमारी अर्चना मिश्रा
पिता-श्री कालिका प्रसाद मिश्रा
निवासी-फुल चौक नया पारा
रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती ऋचा पाण्डेय
पति-श्री राजीव पाण्डेय
निवासी-लवन, पोस्ट लवन
तहसील-बलौदाबाजार, जिला-रायपुर
हाल मुकाम-केलकरपारा
रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं चन्द्रहास चन्द्राकर आत्मज श्री गौकरण चन्द्राकर, उम्र 51 वर्ष निवासी क्वार्टर नं. 3 ए (P), सड़क 16, सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र विवेक कुमार चन्द्राकर का नाम परिवर्तित कर विवेक चन्द्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को विवेक चन्द्राकर आत्मज श्री चन्द्रहास चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
विवेक कुमार चन्द्राकर आत्मज-श्री चन्द्रहास चन्द्राकर निवासी-क्वार्टर नं. 3 A (P) सड़क 16, सेक्टर 2, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	विवेक चन्द्राकर आत्मज-श्री चन्द्रहास चन्द्राकर निवासी-क्वार्टर नं. 3 A (P) सड़क 16, सेक्टर 2, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वर्तमान नाम वाल्मिकी साहू (Valmike Sahu) पिता श्री आर. के. साहू निवासी-बालाजी मंदिर के सामने, आनंद नगर, रायपुर छ. ग. है एवं शासकीय एवं गैर शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम बाल्मिक साहू (Balmik Sahu) पिता श्री रामकिशुन साहू के नाम से समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों में दर्ज है.

मैं अपना नाम बाल्मिक साहू (Balmik Sahu) से परिवर्तित कर वाल्मिकी साहू (Valmike Sahu) रख लिया हूं एवं मेरे समस्त शासकीय एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में वाल्मिकी साहू (Valmike Sahu) पढ़ा एवं समझा जावे एवं आगे इसी नाम वाल्मिकी साहू (Valmike Sahu) से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे एवं संव्यवहार किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
बाल्मिक साहू (Balmik Sahu) पिता-श्री आर. के. साहू निवासी-बालाजी मंदिर के सामने आनन्द नगर, रायपुर (छ. ग.)	वाल्मिकी साहू (Valmike Sahu) पिता-श्री आर. के. साहू निवासी-बालाजी मंदिर के सामने आनन्द नगर, रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

प्रकरण क्र. .... ब/113 (1) वर्ष 2009-10.

क्रमांक/561/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2010.—चूंकि एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मीना ठाकरे पति मधुकर ठाकरे निवासी फ्लैट नं. सी-3, गोल चौक रोहिणी पुरम, रायपुर ने श्री सांई बाबा मंदिर गोल चौक रोहणीपुरम, रायपुर न्यास रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 31-12-2010 को होगी.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री सांई बाबा मंदिर गोल चौक रोहिणी पुरम रायपुर न्यास रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	13000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	डंगनिया प.ह.नं. 104 खसरा नं. 74/6, 76/3, 5 व 76/8 कुल रकबा 0.027 हे. (2905 वर्गफुट)

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24-11-2010 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक.

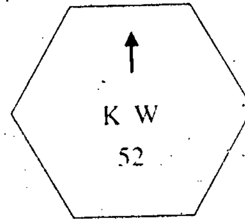
अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र./मा.चि./11476.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित बीट हेमर खारा परिक्षेत्र के पश्चिम चोरहा बीट हेतु चा.क्र.के.डब्ल्यू. 29 दिनांक 16-09-86 द्वारा जारी किया गया था. उक्त बीट के प्रभारी श्री शेख असरफ ताज वनरक्षक द्वारा वनक्षेत्र में भ्रमण के दौरान उक्त हेमर जंगल में कहीं पर गिर गया. गुमशुदा हेमर की खोजबीन किया गया लेकिन हेमर नहीं मिला.

परिक्षेत्र अधिकारी खारा के पत्र क्र. 441 दिनांक 07-09-2010 एवं रेंगाखार के पत्र क्रमांक 648 दिनांक 25-10-2010 का अवलोकन करने के बाद निम्न आदेश पारित किया जाता है.



आदेश क्र./1211.—वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हेमर क्र. KW 52 अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 198/- रुपये वनरक्षक श्री शेख असरफ ताज रक्षक से वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें. कोई व्यक्ति उसे अवैधानिक रूप से रखे हुये या उपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

ए. के. श्रीवास्तव,
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.